ELECTION TO COMMITTEE

Coconut Development Board

Title: Motion for election of two members to the Coconut Development Board.

कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) :अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981 के नियम, 4(1) (एक) तथा (दो) के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4(4) (ड.) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

MR. SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of section 4(4)(e) of the Coconut Development Board Act, 1979 read with rule 4(1)(i) and (ii) of the Coconut Development Board Rules 1981, the members of this House do proceed to elect in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Coconut Development Board, subject to the other provisions of the said Act and the Rules made thereunder."

The motion was adopted.
